रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062024-254693 CG-DL-E-13062024-254693

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] No. 300]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2024/ज्येष्ठ 23, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2024/JYAISHTHA 23, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2024

सं. 09/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 323(अ).—जब कि चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड (एतिश्मन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', (एतिश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 3904 10 10, 3904 10 20, 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 22 00, 3904 30 10, 3904 30 90, 3904 90 00, 3904 40 00 और 3904 90 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्रारम्भिक निष्कर्षों में संख्या 6/17/2023-डीजीटीआर, दिनांक 26 अप्रैल, 2024, जिसे दिनांक 26 अप्रैल, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अनंतिम रूप से निष्कर्ष दिया है कि –

3530 GI/2024 (1)

- (i) विचारार्थ उत्पाद विषयगत देशों से भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके कारण डंपिंग हुई है;
- (ii) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के आयात में निरपेक्ष रूप से तथा उत्पादन और खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है;
- (iii) घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति विषयगत देशों से डंप किए गए आयातों के कारण हुई है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उस टैरिफ मद के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा —

सारणी

क्र. सं	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	39041010	'पॉली विनाइल	चीन	चीन जनवादी	_	546		
	39041020	क्लाराइड पस्ट			इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी			
	39041090	रेसिन', जिसे		6	((पपबा) क्या लिमिटेड			
	39042100	इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से						
1.	39042200	भी जाना जाता है					मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
	39043010	##					मााट्रक टन	अमारका डालर
	39043090							
	39049000							
	39044000							
	39049090 ##							
	वही				शेनयांग केमिकल	115		
		पलाराइड पस्ट			कंपनी लिमिटेड			
2.		रेसिन', जिसे		सहित कोई देश			मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
		इमल्शन पीवीसी		५२।				
		रेसिन के नाम से						

		भी जाना जाता है						
		##						
	वही	'पॉली विनाइल	चीन	चीन जनवादी	ऊपर उल्लिखित	600		
		क्लोराइड पेस्ट	जनवादी		एसएन 1 और 2			
		रेसिन', जिसे	गणराज्य	सहित कोई	के अलावा कोई			
3.		इमल्शन पीवीसी		देश	भी उत्पादक		मीटिक टन	अमेरिकी डॉलर
		रेसिन के नाम से						, ,, ,, , , , , , ,
		भी जाना जाता है						
		#						
	वही	'पॉली विनाइल	विषयगत	चीन जनवादी	कोई भी उत्पादक	600		
		क्लोराइड पेस्ट	देशों के	गणराज्य				
		रेसिन', जिसे	अलावा कोई					
4.		इमल्शन पीवीसी	भी अन्य देश				मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
		रेसिन के नाम से						
		भी जाना जाता है						
		#						
	वही	'पॉली विनाइल	कोरिया	कोरिया	हनव्हा सॉल्यूशंस	शून्य		
		क्लोराइड पेस्ट	जनवादी	जनवादी	कॉर्पोरेशन			
		रेसिन', जिसे	गणराज्य	गणराज्य —————				
5.		इमल्शन पीवीसी		सहित कोई देश			मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
		रेसिन के नाम से		(१९)				
		भी जाना जाता है						
		#						
	वही	'पॉली विनाइल	कोरिया		ऊपर उल्लिखित	41		
		क्लोराइड पेस्ट	जनवादी	जनवादी	एसएन 5 के			
		रेसिन', जिसे	गणराज्य	गणराज्य स्टिस् रोर् ड	अलावा कोई भी			
6.		इमल्शन पीवीसी		सहित कोई देश	उत्पादक		मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
		रेसिन के नाम से		(१ र ।				
		भी जाना जाता है						
		#						
	वही	'पॉली विनाइल	विषयगत		कोई भी उत्पादक	41		
		क्लोराइड पेस्ट	देशों के	जनवादी				
		रेसिन', जिसे	अलावा कोई भी अन्य देश	गणराज्य				
7.		इमल्शन पीवीसी	मा अन्य दश				मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
		रेसिन के नाम से						
		भी जाना जाता है						
		#						
	वही	'पॉली विनाइल	मलेशिया	मलेशिया		317		
8.		क्लोराइड पेस्ट		सहित कोई भी देश	पॉलिमर एसडीएन.		मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
		रेसिन', जिसे		मा दश	दसङाएम. बी.एच.डी.			
	1	<u> </u>	1	I	1	i	i	

		0.0.0		T	T	ı	1	
		इमल्शन पीवीसी						
		रेसिन के नाम से						
		भी जाना जाता है						
		#						
	वही	'पॉली विनाइल	मलेशिया	मलेशिया	पर उल्लिखित	375		
		क्लोराइड पेस्ट		सहित कोई	एसएन 8 के			
		रेसिन', जिसे		भी देश	अलावा कोई भी			
9.		इमल्शन पीवीसी			उत्पादक		मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
		रेसिन के नाम से						
		भी जाना जाता है						
		#						
	वही	 'पॉली विनाइल	विषयगत	मलेशिया	कोई भी उत्पादक	375		
			देशों के					
		रेसिन', जिसे	अलावा कोई					
10.		इमल्शन पीवीसी	भी अन्य देश				मीरिक रच	अमेरिकी डॉलर
10.		इमल्शन पावासा रेसिन के नाम से					मा।द्रुक टन	जमारका डालर
		भी जाना जाता है						
		,						
	•	#			· ·			
	वही	'पॉली विनाइल	ताइवान	ताइवान	फॉर्मोसा चर्च िन	118		
		क्लोराइड पेस्ट		सहित कोई भी देश	प्लास्टिक कॉर्पोरेशन			
		रेसिन', जिसे		भा दश	विगवारसाम् 			
11.		इमल्शन पीवीसी					मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
		रेसिन के नाम से						
		भी जाना जाता है						
		#						
	वही	'पॉली विनाइल	ताइवान	ताइवान	ऊपर उल्लिखित	168		
		क्लोराइड पेस्ट		सहित कोई	एसएन 11 के			
		रेसिन', जिसे		भी देश	अलावा कोई भी			
12.					उत्पादक		मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12.		इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से					नगद्रभ दन	जनार्यम अपर
		शासन क नाम स भी जाना जाता है						
		,						
		#						
	वही		विषयगत रेक्ट ों रे	ताइवान	कोई भी उत्पादक	168		
		क्लोराइड पेस्ट	देशों के अस्तरास कोर् ड					
		रेसिन', जिसे	अलावा कोई भी देश					
13.		इमल्शन पीवीसी	मा ५रा				मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
		रेसिन के नाम से						
		भी जाना जाता है						
		#						
	वही	'पॉली विनाइल	थाईलैंड	थाईलैंड	टीपीसी पेस्ट	195	0.0	200 "
14.		क्लोराइड पेस्ट		सहित कोई	रेजिन कंपनी		मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
<u></u>		1.11.1145 1/6		<u> </u>	l .	<u> </u>		

	1	,,,,,,		<i>2</i> → <i>2</i> → <i>2</i>	007			1
		रेसिन', जिसे		भी देश	लिमिटेड			
		इमल्शन पीवीसी						
		रेसिन के नाम से						
		भी जाना जाता है						
		#						
	वही	'पॉली विनाइल	थाईलैंड			252	_	
		क्लोराइड पेस्ट		सहित कोई	14 के अलावा			
		रेसिन', जिसे		भी देश	कोई भी उत्पादक			
15.		इमल्शन पीवीसी					मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
		रेसिन के नाम से						
		भी जाना जाता है						
		#						
	वही	11.11.11.11.4.1	विषयगत	थाईलैंड	कोई भी उत्पादक	252		
		प्याराइड पस्ट	देशों के					
		रेसिन' जिसे	अलावा कोई					
16.		इमल्शन पीवीसी	अन्य देश				मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
		रेसिन के नाम से						
		भी जाना जाता है						
		##						
	वही	'पॉली विनाइल	नॉर्वे		कोई भी उत्पादक	328		
		क्लोराइड पेस्ट		कोई भी देश				
		रेसिन', जिसे						
17.		इमल्शन पीवीसी					मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
		रेसिन के नाम से						
		भी जाना जाता है						
		##						
	वही	'पॉली विनाइल	विषयगत	नॉर्वे	कोई भी उत्पादक	328		
		प्याराइड पस्ट	देशों के					
		रेसिन' जिसे	अलावा कोई					
18.		इमल्शन पीवीसी	अन्य देश				मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
		रेसिन के नाम से						
		भी जाना जाता है						
		##						
\Box				<u> </u>		<u> </u>		

#निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर रखा गया है:

- क) 60K से कम K मान वाला पीयूसी
- ख) पीवीसी ब्लेंडिंग रेजिन
- ग) पीवीसी पेस्ट रेजिन के सह-पॉलिमर
- घ) बैटरी सेपरेटर रेजिन

ङ) इनोविन यूरोप लिमिटेड द्वारा उत्पादित ब्रांड नाम "बायोविन"

सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छहः माह की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुतिकरण की तारीख होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2024-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2024

No. 09/2024-CUSTOMS (ADD)

- **G.S.R. 323(E).**—Whereas, in the matter of 'Poly Vinyl Chloride Paste Resin' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 3904 10 10, 3904 10 20, 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 22 00, 3904 30 10, 3904 30 90, 3904 90 00, 3904 40 00 and 3904 90 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR, Korea RP, Malaysia, Norway, Taiwan and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority *vide* its preliminary findings No. 6/17/2023-DGTR, dated the 26th April, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 26th April, 2024, has provisionally concluded that-
 - (i) the product under consideration that has been exported to India from the subject countries are at dumped prices;
 - (ii) there is substantial increase in imports of subject goods from the subject countries in both absolute terms and in relation to production and consumption;
 - (iii) the material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject countries,

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a provisional anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl.	Tariff item	Description of			Producer	Duty	Unit	Currency
No.	(2)	goods	origin	exports		amount		
(1)	(2) 39041010	(3) 'Poly Vinyl	(4) People's	(5) Any	(6) Formosa	(7) 546	(8)	(9)
1.	39041020 39041090 39042100 39042200 39043010		Republic of China	-	Industries (Ningbo) Co., Ltd.	3.10	Metric Tonne	US\$
	39043090 39049000 39044000 39049090 ##							
2.	do		People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Shenyang Chemical Co., Ltd.	115	Metric Tonne	US\$
3.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any producer other than SN 1 and 2 mentioned above	600	Metric Tonne	US\$
4.	do	Resin', also known as	Any country other than subject countries	People's Republic of China	Any producer	600	Metric Tonne	US\$
5.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Korea RP	Any country including Korea RP	Hanwha Solutions Corporation	Nil	Metric Tonne	US\$
6.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than SN 5 mentioned above	41	Metric Tonne	US\$
7.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Any country other than subject countries	Korea RP	Any producer	41	Metric Tonne	US\$
8.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also	Malaysia	Any country including	Kaneka Paste Polymers Sdn. Bhd.	317	Metric Tonne	US\$

		T -	T	T	T			
		known as		Malaysia				
		Emulsion PVC						
		Resin #						
	do	'Poly Vinyl	Malaysia	Any	Any producer	375		
		Chloride Paste		country	other than SN			
		Resin', also		including	8 mentioned		Metric	******
9.		known as		Malaysia	above		Tonne	US\$
		Emulsion PVC						
		Resin #						
	do	'Poly Vinyl	Any	Malaysia	Any producer	375		
	40	Chloride Paste	country	Training Sin	my producer	373		
		Resin', also	other than				Matria	
10.		known as	subject				Metric Tonne	US\$
		Emulsion PVC	countries				Tomic	
		Resin #	Countries					
-	1		m :		F.	110		
	do	'Poly Vinyl	Taiwan	Any	Formosa	118		
		Chloride Paste		country	Plastics Corporation			
11.		Resin', also		including	Corporation		Metric	US\$
		known as		Taiwan			Tonne	
		Emulsion PVC						
		Resin #						
	do	'Poly Vinyl	Taiwan	Any	Any producer	168		
		Chloride Paste		country	other than SN			
12.		Resin', also		including	11 mentioned		Metric	US\$
12.		known as		Taiwan	above		Tonne	ОЗФ
		Emulsion PVC						
		Resin #						
	do	'Poly Vinyl	Any	Taiwan	Any producer	168		
		Chloride Paste	country					
10		Resin', also	other than				Metric	TIOO
13.		known as	subject				Tonne	US\$
		Emulsion PVC	countries					
		Resin #						
	do	'Poly Vinyl	Thailand	Any	TPC Paste	195		
		Chloride Paste		country	Resin Co., Ltd.			
		Resin', also		including			Metric	****
14.		known as		Thailand			Tonne	US\$
		Emulsion PVC						
		Resin #						
	do	'Poly Vinyl	Thailand	Any	Any producer	252		
		Chloride Paste		country	other than SN	- -		
		Resin', also		including	14 mentioned		Metric	
15.		known as		Thailand	above		Tonne	US\$
		Emulsion PVC						
		Resin #						
\vdash	do	'Poly Vinyl	Any	Thailand	Any producer	252		
	u.o	Chloride Paste	country	1 manuala	inj producer	232		
		Resin', also	other than				Matri-	
16.		known as	subject				Metric Tonne	US\$
		Emulsion PVC	countries				Tome	
		Resin #	Countines					
\vdash	do	'Poly Vinyl	Norway	Ansz	Any producer	328	36.1	
17.	uo	Chloride Paste	inoiway	Any	Any producer	328	Metric	US\$
		Cinoride Paste	<u> </u>	country			Tonne	

		Resin', also		including				
		known as		Norway				
		Emulsion PVC						
		Resin #						
	do	'Poly Vinyl	Any	Norway	Any producer	328		
		Chloride Paste	country					
10		Resin', also	other than				Metric	TICO
18.		known as	subject				Tonne	US\$
		Emulsion PVC	countries					
		Resin #						

#The following products are excluded from the scope of the product under consideration (PUC):

- (a) PUC with a K value below 60K
- (b) PVC Blending Resin
- (c) Co-polymers of PVC Paste Resin
- (d) Battery separator resins
- (e) The brand name "Biovyn" produced by Innovyn Europe Ltd.

The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration."

2. The provisional anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of six months (unless revoked, amended or superseded earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/63/2024-TRU Section-CBEC]

NITISH KARNATAK, Under Secy.